



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

24 कार्तिक 1933 (श10)  
(सं0 पटना 616) पटना, मंगलवार, 15 नवम्बर 2011

---

सं0 3/सी 5-नीति-14/2011—3054

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग  
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

संकल्प

11 नवम्बर 2011

विषय:—विभागीय संकल्प संख्या 3456, दिनांक 12 अगस्त 2006/02 फरवरी 2007 में संशोधन कर बिहार राज्य विभरेजज कॉ0 लि0 के अधीन गठित निदेशक मंडल एवं क्रय समिति को पुनर्गठित करने के संबंध में।

उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग के संकल्प संख्या 3456 दिनांक 12 अगस्त 2006/02 फरवरी 2007 की कंडिका-3 में, बिहार स्टेट बिभरेजज कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्य प्रबंधन हेतु गठित निदेशक मंडल तथा कंडिका-4 में, कॉरपोरेशन द्वारा किये जानेवाले व्यापार के क्रम में शराब का आवश्यक क्रय एवं विक्रय मूल्य और आपूर्तिकर्त्ताओं के चयन के लिए गठित क्रय समिति को निम्नप्रकार पुनर्गठित करने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है :-

- (i) उत्पाद एवं मद्य-निषेध विभाग के संकल्प संख्या 3456, दिनांक 12 अगस्त 2006/02 फरवरी 2007 की कंडिका-3 में आंशिक संशोधन कर बिहार स्टेट विभरेजज कॉ0 लि0 (बी0 एस0 बी0 सी0 एल0) के निदेशक मंडल को पुनर्गठित किया जायेगा एवं गठित निदेशक मंडल के क्रमांक (ii) पर निदेशक के रूप में पूर्व से रखे गये आयुक्त उत्पाद-सह-सचिव को विलोपित कर निदेशक मंडल में आयुक्त उत्पाद तथा सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग को निदेशक के रूप में अलग-अलग स्वतंत्र रूप से रखा जायेगा।

- (ii) उक्त संकल्प की कंडिका-4 में आंशिक संशोधन कर बी0 एस0 बी0 सी0 एल0 के क्रय समिति को पुनर्गठित किया जायेगा तथा गठित समिति के क्रमांक (ii) पर सदस्य के रूप में पूर्व से रखे गये उत्पाद आयुक्त-सह-सचिव एवं क्रमांक (iv) पर सदस्य के रूप में ही रखे गये निगरानी विभाग के प्रतिनिधि को विलोपित कर क्रय समिति में उनके स्थानों पर क्रमशः सचिव, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग तथा आयुक्त उत्पाद को समिति के सदस्य के रूप में अलग-अलग स्वतंत्र रूप से रखा जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राज्य गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

आमिर सुबहानी,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 616-571+500-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>